न्यायालय—अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण,
<u>जयपुर महानगर—प्रथम</u>

पीठासीन अधिकारी : **रिद्धिमा शर्मा,**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : **219/2023**
एफ.आई.आर. सं. : 135/2023, पुलिस थाना अशोक नगर, जयपुर

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक।

......अभियोजन पक्ष

बनाम

कपिल प्रजापत पुत्र भैराराम प्रजापत, उम्र 24 वर्ष, निवासी सुनारी, पुलिस थाना लाड़नू, जिला नागौर।

.......अभियुक्त

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 376(2)(एन), 313 भा.दं.सं.</u>

<u>उपस्थितः</u>—

1—श्री लखन लाल मीणा, विशिष्ट लोक अभियोजक राज. राज्य की ओर से।
2—श्री सुधीर बाड़ेटिया, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

<u>:: निर्णय ::</u> **दिनांक : 22 मार्च, 2024**

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस एल पी (Cri.) नं. 5753/2005 दिनेश उर्फ बुद्धा बनाम राज. राज्य में 28 फरवरी, 2006 को पारित दिशा निर्देशों की पालना में अभियोक्त्री को उसके नाम के स्थान पर ''पीड़िता'' शब्द से सम्बोधित किया जा रहा है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.04.2023 को पीड़िता द्वारा पुलिस उपायुक्त (दक्षिण), जयपुर के समक्ष एक टाईपशुदा रिपोर्ट इन तथ्यों की पेश की कि दिनांक 20 नवम्बर, 2020 को उसने माई थाई स्पा सैलून सुभाष मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर में थैरेपिस्ट के पद पर 25,000/—रुपये प्रतिमाह पर नौकरी प्रारम्भ की थी, जिसका मालिक कपिल प्रजापत था। इस सैलून में दो विवाहित लड़कियां और थी। सैलून के मालिक कपिल प्रजापत ने

उससे नजदीकियां बढ़ानी शुरु कर दी और किसी न किसी बहाने सैलून में रोक लेता। एक बार उससे कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है व शादी करेगा। दिनांक 10 जनवरी, 2021 को दोनों लड़कियों के जाने के बाद उसे सैलून पर बहाने से रोककर शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर जबरदस्ती उसकी मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। वह रोने लगी, तो कहा कि उससे ही शादी करेगा और उसे सैलून में अब पार्टनरशिप में रखता है और सैलून की और शाखा खोलने के लिए पार्टनरशिप डीड लिख लेते हैं। उसकी बातों में आकर पीड़िता ने दिनांक 07.04.2021 को उसके लाए हुए 500/–रुपये के खाली स्टाम्प व अन्य कागजों पर पार्टनरशिप डीड के लिए हस्ताक्षर कर दिए। उसने कहा कि बाद में पार्टनरशिप डीड टाईप करवा लूंगा। शादी का झांसा देते हुए जबरदस्ती उसके साथ बिना उसकी सहमति के शारीरिक संबंध बनाने के कारण वह गर्भवती हो गई, जो उसे दिनांक 19.10.2021 को पता लगी। वह उसे दिसम्बर, 2021 में नियमित चैकअप के बहाने स्त्री हॉस्पिटल, महालक्ष्मी ज्वैलर्स के पीछे, राजमंदिर के पास, एम.आई.रोड़ ले गया एवं उसे बिना बताए उसका गर्भपात करवा दिया और कहा कि वह उसे मान–सम्मान के साथ अपनी पत्नी बनाना चाहता है, जिससे उसकी ससुराल में इज्जत हो। इसके बाद कपिल प्रजापत उसे इग्नोर करने लगा। पीड़ता ने उससे कई बार शादी के बारे में कहा लेकिन वह हर बार बहाने बना लेता। एक दिन पीड़िता ने उसके गांव में पता किया तो पता लगा कि वह पहले से शादीशुदा है, उसकी पत्नी का नाम किरण प्रजापत है। उसने कपिल प्रजापत को इस बारे में पूछा, तो उसने कहा वह अपनी पत्नी से परेशान है, उसको तलाक देकर पीड़िता से शादी करेगा। कपिल प्रजापत ने दिनांक 08.08.2022 को 100/–रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक समझौता–पत्र लिखकर दिया कि वह अपनी पत्नी को छः माह में तलाक दे देगा एवं पीड़िता से शादी करेगा लेकिन आज तक शादी नहीं की और लगातार शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया, इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अशोक नगर, जयपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 135/2023 अंतर्गत धारा 376(2)(एन), 313 भारतीय दंड संहिता में कायम कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा

अनुसंधान के पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त कपिल प्रजापत के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एन), 313 के तहत आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उक्त अपराध बाबत विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरांत यह प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

4. बहस आरोप सुनने के उपरांत अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एन), 313 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाकर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने अपराध करने से इन्कार किया व अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में निम्न गवाह पेश कर परीक्षित करवाये गये :–

पी.डब्ल्यू संख्या	गवाह का नाम व संबंध
पी.डब्ल्यू–1	डॉ. सीमा मित्तल, मेडिकल विशेषज्ञ
पी.डब्ल्यू–2	पीड़िता
पी.डब्ल्यू–3	विक्रम सिंह, अनुसंधान अधिकारी

6. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गये :–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण दस्तवेज
1.	प्रदर्श पी–1	प्रेस्क्रिप्शन की प्रमाणित प्रति
2.	प्रदर्श पी–2	अबोर्शन का फार्म
3.	प्रदर्श पी–3	डिस्चार्ज टिकिट पीड़िता
4.	प्रदर्श पी–4	स्त्री क्लिनिक द्वारा दिया गया जवाब
5.	प्रदर्श पी–5	टाईपशुदा रिपोर्ट
6.	प्रदर्श पी–6	मेडिकल रिपोर्ट पीड़िता
7.	प्रदर्श पी–7	पहचान फार्म पीड़िता
8.	प्रदर्श पी–8	फर्द जपती 161 द.प्र.सं. के बयानों की वीड़ियोग्राफी

9.	प्रदर्श पी–8 लगायत पी–10	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
10.	प्रदर्श पी–11 लगायत पी–14	फोटोग्राफ्स
11.	प्रदर्श पी–15	पीड़िता के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान
12.	प्रदर्श पी–16	सम्मन पीड़िता
13.	प्रदर्श पी–17	आदेशिका न्यायालय
14.	प्रदर्श पी–18	पुलिस बयान पीड़िता
15.	प्रदर्श पी–19	चाक एफ.आई.आर.
16.	प्रदर्श पी–20, 21	पीड़िता को दिया नोटिस
17.	प्रदर्श पी–22	पीड़िता का जवाब
18.	प्रदर्श पी–23	पीड़िता के बयान 164 द.प्र.सं. हेतु प्रा.पत्र
19.	प्रदर्श पी–24	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
20.	प्रदर्श पी–25 लगायत पी–27	फर्द सूचना अभियुक्त
21.	प्रदर्श पी–28 लगायत पी–30	फर्द तस्दीक नक्शा मौका
22.	प्रदर्श पी–31	प्रबंधक स्त्री अस्पताल को दिया नोटिस
23.	प्रदर्श पी–32	अभियुक्त को दिया गया नोटिस
24.	प्रदर्श पी–33	जियो कंपनी को जारी पत्र
25.	प्रदर्श पी–34	सी.डी.आर.
26.	प्रदर्श पी–35	धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम प्रमाण–पत्र
27.	प्रदर्श पी–36	मोबाइल नंबर की कैफ
28.	प्रदर्श पी–37	फर्द कॉल डिटेल
29.	प्रदर्श पी–38	मेडिकल रिपोर्ट अभियुक्त

7. अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त के अभिकथन अर्न्तगत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा कथन किया कि पीड़िता से उसका पैसों का लेन–देन का विवाद चल रहा था। इस मुकदमे में उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य–सफाई पेश नहीं की गई।

8. दोनो पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य

का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

(1) क्या अभियुक्त कपिल प्रजापत ने दिनांक 10.01.2021 को पीड़िता के साथ माई थाई स्पा नामक सैलून, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर में शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर जबरदस्ती, बिना उसकी इच्छा के उसके साथ बलात्कार किया और इसके बाद अलग–अलग समय पर शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन बार–बार बलात्कार किया ?

––376(2)(एन) भा.द.सं.

(2) क्या अभियुक्त कपिल प्रजापत ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर पीड़िता के साथ उसकी इच्छा व सहमति के बिना जबरन बलात्कार करने के फलस्वरूप पीड़िता के गर्भवती होने पर बिना उसकी मर्जी के गर्भपात कराने वाली गोलियां खिलायी और दिसम्बर, 2021 में नियमित चैकअप के बहाने स्त्री हॉस्पिटल राज मंदिर सिनेमा के पास, एम.आई. रोड़ ले जाकर जबरदस्ती उसका गर्भपात करवा दिया ?

––313 भा.द.सं.

(3) यदि हॉ तो उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

9. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने तर्क दिया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का कथन रहा है कि पीड़िता व अभियुक्त के मध्य पैसों का विवाद था, जिस कारण अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में स्वयं पीड़िता पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुई है, जिसने अभियोजन कहानी का लैशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। स्वयं पीड़िता ने अपनी सहमति से गर्भपात करवाया जाना स्वीकार किया है। मेडिकल साक्ष्य से भी पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किए जाने एवं उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन गर्भपात करवाए जाने का तथ्य साबित नहीं है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अभियुक्त के विरुद्ध

आरोपित अपराध के संबंध में अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

11. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

12. प्रकरण की महत्वपूर्ण गवाह स्वयं पी.डब्ल्यू–2 पीड़िता पूर्णतया पक्षद्रोही हुई है और न्यायालय वह सशपथ कथन किए हैं कि वह 2020 वह माय थाय स्पा सैलून में काम करती थी, जिसका मालिक कपिल प्रजापत था। वहां उसकी इससे दोस्ती हो गई और धीरे–धीरे उनके सबंध बनने लगे, जो उसकी सहमति से बने। शादी की बात को लेकर उनके बीच अनबन हो गई थी, जिसके चलते उसने आवेश वह आकर यह मुकदमा दर्ज करवा दिया था। कपिल ने उसके साथ कभी उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबध नहीं बनाए। आपसी सबंधों के चलते वह गर्भवती हो गई थी और उनकी शादी नहीं हुई थी इसलिए उसने स्वयं अपनी इच्छा से गर्भपात करने की दवाई ली थी, जिससे उसे काफी परेशानी हुई, जिसके बाद वह स्त्री क्लिनिक के डॉक्टर के पास गई, जहां कपिल भी उसके साथ था और डॉक्टर द्वारा उसे राय दी गई कि वह गर्भाश्य की सफाई करा ले। जिसकी उसने सहमति दी और उसका गर्भपात पूर्ण हुआ। गर्भपात उसने उसकी इच्छा से कराया था। कपिल द्वारा ना तो कभी उसके साथ बलात्कार किया गया और ना ही जबरन उसका गर्भपात कराया गया। उसके द्वारा कपिल के विरूद्व थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 है। उसका मेडिकल हुआ था, जो प्रदर्श पी–6 है। उसका डी.एन.ए. का आइडेन्टिफिकेशन फार्म प्रदर्श पी–7 है। उसके बयानों की वीड़ियोग्राफी की गई, जो प्रदर्श पी–8 है। पुलिस ने माई थाई स्पा एवं प्योर वैलनेस स्पा व रिलैक्स थाई स्पा का नक्शा मौका प्रदर्श पी–8, 9 व 10 बनाया था। उसके द्वारा उसके व कपिल के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–11 लगायत पी–14 पेश किए गए। उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 द.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी–15 हुए थे। न्यायालय का सम्मन प्रदर्श पी–16, न्यायालय की आदेशिका प्रदर्श पी–17 है। इन फर्दों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पुलिस बयान हुए

थे, जो प्रदर्श पी–18 है, जिसके ए से बी भाग में घटना से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण तथ्य पुलिस को देने से इन्कार किया है। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान पुलिस के बताये अनुसार दिए थे। उसने रिपोर्ट किसी के कहने पर दर्ज नहीं करवाई थी। उसकी व कपिल की स्पा में पार्टनरशिप थी, जिसके पैसों को लेकर उनके मध्य विवाद हो गया था, क्योंकि उनकी आपस में शादी को लेकर अनबन हो गई थी, जो विवाद बाद में बढ़ गया था इसलिए उसने यह मुकदमा दर्ज करवाया था। कपिल ने उसकी मर्जी के विरूद्व उसके साथ बलात्कार नहीं किया।

13. प्रतिपरीक्षण में पीड़िता ने कहा कि जब वह गर्भपात करवाने गई तब कपिल उसके साथ गया था। उसकी इच्छा के विरुद्ध न तो कभी उनके शारीरिक संबंध बने, न ही उसका गर्भपात हुआ।

14. गवाह पी.डब्ल्यू–1 डॉ. सीमा मित्तल मेडिकल विशेषज्ञ ने अपने मुख्य परीक्षण वह कथन किया है कि उनके दिनांक 18.11.2021 को स्त्री रोग विशेषज्ञ स्त्री क्लिनिक परिवार सेवा संस्था, जयपुर में कार्यरत रहते हुए पीड़िता कपिल प्रजापत के साथ आई थी। वह अपने साथ राधा गोविंद हॉस्पीटल का प्रेसक्रिप्शन साथ लाई थी, जिसमें दो बार एम.टी.पी. पिल खाने की बात लिखी हुई थी व उसे स्त्री क्लिनिक के लिए रैफर किया गया था। प्रेसक्रिप्शन साथ में एटैच थी। प्रेसक्रिप्शन की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–1 है। पीड़िता जब हॉस्पिटल आई, उस समय उसे ब्लीडिंग हो रही थी। उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट के अनुसार उसे 12 सप्ताह की प्रेग्नेन्सी थी। इस तरह से इस केस में पीड़िता को बताया गया कि उसके अधूरा गर्भपात है, जिसे पूरा कराया जाना आवश्यक है और जिसकी उसकी सहमति दी। अस्पताल में पीड़िता के अबॉर्शन का फॉर्म इन्टैक शीट फॉर अदर अबॉर्शन बनवाया गया, जिसका फॉर्म नम्बर 067/रजि. नं. 220/11/21 है, जो प्रदर्श पी–2 है। पीड़िता के गर्भाशय की सफाई मेडिकल प्रक्रिया अनुसार सभी नियमों का पालन करते हुए की गई, जिसके बाद उसी दिन पीड़िता की हालत ठीक होने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। पीड़िता की गर्भाशय की सफाई उसकी जान बचाने के लिए आवश्यक थी। पीड़िता का डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श पी–3 है। इनटैक शीट प्रदर्श पी–2 है। इन फर्दों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस थाना अशोक नगर द्वारा चाही गई सूचना का स्त्री

क्लिनिक द्वारा जबाव प्रदर्श पी–4 दिया गया, जिस पर इन्चार्ज क्लिनिक नीलम व्यास के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह पहचानती है।

15. प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने कहा कि प्रदर्श पी–2 पर पीड़िता के पति का नाम कपिल लिखा है व उस पर उसके हस्ताक्षर है। सहमति पर 13 क्लॉज हैं, जिस पर पीड़िता व कपिल दोनों ने देखकर हस्ताक्षर किए थे। प्रदर्श पी–4 में इस बात का अंकन है कि पीड़िता ने स्वयं दो बार एफ. टी.पी. किट खाई थी। यदि पीड़िता का गर्भपात नहीं किया जाता, तो रक्त स्त्राव व इन्फेक्शन से उसकी जान को खतरा हो सकता था।

16. गवाह पी.डब्ल्यू–3 विक्रम सिंह अनुसंधान अधिकारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 20.04.2023 को उनके अशोक नगर थाने पर एस.एच.ओ. के पद पर तैनात रहते हुए जरिये डाक पुलिस कमिश्नरेट जयपुर से पीड़िता द्वारा पेश परिवाद प्रदर्श पी–5 प्राप्त होने पर आई. सी. थाना श्रीमति कविता उपनिरीक्षक द्वारा कार्यवाही पुलिस का अंकन कर मु.नं. 135/2023 धारा 376(2)(एन), 313 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान गवाह को सुपुर्द किया। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–19 है। दौराने अनुसंधान महिला उपनिरीक्षक श्रीमति कविता द्वारा पीड़िता के धारा 161 द. प्र.सं. के बयान करवाये। पीड़िता का बलात्कार सबंधी मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी–6 करवाया गया, गवाह आयुष कस्वा, नरेन्द्र कुमार, श्रीमति शीतल गुप्ता, सुश्री नेहा, श्रीमति सीमा मित्तल के धारा 161 द.प्र.सं. के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्व किये गये। पीड़िता की निशादेही से तीन घटनास्थलों का अलग–अलग नक्शा मौका प्रदर्श पी–8 लगायत पी–10 बनाया गया। पीड़िता ने आरोपी के साथ अपने फोटों प्रदर्श पी–11 लगायत पी–14 पेश किये। पीड़िता को वक्त घटना पहने हुए कपड़े व गर्भपात के दौरान पहने हुए कपड़े पेश करने बाबत् नोटिस प्रदर्श पी–20 व पी–21 दिया, जिनका पीड़िता द्वारा पेश जवाब प्रदर्श पी–22 है। पीड़िता के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान करवाने के लिए महानगर मजिस्ट्रेट पूर्व, जयपुर महानगर–प्रथम को दिया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–23 है। पीड़िता को न्यायालय द्वारा सम्मन प्रदर्श पी–16 जारी किया गया। पीड़िता के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी–15 करवाये गए। न्यायालय की आदेशिका प्रदर्श पी–17 है। अभियुक्त कपिल प्रजापत को जरिये फर्द प्रदर्श पी–24 गिरफ्तार किया

गया। अभियुक्त द्वारा घटनास्थल की तस्दीक करने के लिए धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तलाएं प्रदर्श पी–25 लगायत पी–27 दी गई, जिनके आधार पर तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी–28 लगायत पी–30 तैयार किये गये थे। दिनांक 16.05.2023 को अस्पताल प्रबंधक, स्त्री अस्पताल राजमंदिर के पास न्यू रोड़ जयपुर को धारा 91 द.प्र.सं. का नोटिस प्रदर्श पी–31 प्रकरण की पीड़िता के गर्भपात एवं ईलाज से संबंधित दस्तावेजात पेश करने हेतु दिया गया, जिसके जवाब में अस्पताल प्रबंधक ने पीड़िता के ईलाज संबंधित दस्तावेज पेश किये, जो प्रदर्श पी–1 लगायत पी–3 है। उक्त दस्तावेजों का अग्रेषण–पत्र प्रदर्श पी–4 है। प्रकरण में आरोपी को दौराने अनुसंधान वक्त घटना पहने हुये कपड़े पेश करने हेतु लिखित नोटिस प्रदर्श पी–32 दिया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर, उसका जवाब, मुलजिम के हस्ताक्षर है। प्रकरण में आरोपी कपील प्रजापत द्वारा पीड़िता से बात करने हेतु काम में लिये गये मोबाइल नम्बर 8279275363 की सी.डी.आर. प्राप्त करने हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिण के द्वारा नोडल अधिकारी जियो कम्पनी को पत्र प्रदर्श पी–33 जारी किया गया। सी.डी.आर. मय धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र मय कैफ प्रदर्श पी–34 के प्राप्त हुई। नोडल अधिकारी के द्वारा धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–35 व उक्त मोबाइल नम्बरों का कैफ प्रदर्श पी–36 है। आरोपी के मोबाइल की फर्द कॉल डिटेल विश्लेषण प्रदर्श पी–37 तैयार की। अभियुक्त कपिल प्रजापत का पुरूषत्व संबंधी मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी–38 करवाया। समस्त अनुसंधान से आरोपी कपिल प्रजापत के विरूद्ध धारा 376(2)(एन), 313 भा.द. सं. का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध चार्जशीट कता कर आरोप पत्र सक्षम न्यायालय वह पेश किया।

17. प्रतिपरीक्षण वह उक्त गवाह ने कहा कि प्रदर्श पी–34 पर कहीं भी सील, मुहर, नोडल अधिकारी या पेशकर्ता के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्रदर्श पी–35 धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र कंपनी के किस अधिकारी द्वारा जारी किया गया, उसका नाम–पता अंकित नहीं है। परिवाद प्राप्त होने से पहले पीड़िता थाने पर नहीं आयी। पीड़िता को धारा 164 द.प्र. सं. के बयान कैसे दिए जाने है, यह नहीं बताया।

18. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं पीड़िता है, जो

पूर्णतया पक्षद्रोही हुई है तथा अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी पुष्टि नहीं की है। पीड़िता ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसकी 2020 में माय थाय स्पा सैलून में काम करने के दौरान उसके मालिक कपिल प्रजापत से दोस्ती हो गई और धीरे–धीरे उनके संबंध बनने लगे, जो उसकी सहमति से बने थे। कपिल ने उसके साथ कभी उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध नहीं बनाए। वह आपसी संबंधों के चलते गर्भवती हो गई थी और उनकी शादी नहीं हुई थी इसलिए उसने स्वयं अपनी इच्छा से गर्भपात करने की दवाई ली, जिससे काफी परेशानी होने पर स्त्री क्लीनिक के डॉक्टर के पास गई, जहॉ कपिल भी उसके साथ था और डॉक्टर की राय पर उसने गर्भाशय की सफाई कराने की सहमति दी और उसने गर्भपात अपनी इच्छा से करवाया था। शादी की बात को लेकर उनके बीच अनबन हो गई थी, जिसके कारण आवेश में आकर उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया था। कपिल द्वारा न तो उसके साथ कभी बलात्कार किया गया, न ही उसका जबरन गर्भपात करवाया गया। अपने धारा 164 द.प्र.सं. के बयान पुलिस के बताए अनुसार देना कहा है तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी–18 में घटना से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण तथ्य पुलिस को देने से इन्कार किया है। उसकी एवं कपिल की स्पा में पार्टनरशिप थी, जिसके पैसों को लेकर उनके मध्य विवाद हो गया, क्योंकि उनकी शादी को लेकर अनबन हो गई, जो विवाद बाद में बढ़ गया इसलिए उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। कपिल ने उसकी मर्जी के विरुद्ध कभी बलात्कार नहीं किया। मेडिकल विशेषज्ञ ने भी स्वयं पीड़िता द्वारा दो बार एम.टी.पी. किट खाना और रक्त स्त्राव व इन्फेक्शन से पीड़िता की जान को खतरा होने के कारण पीड़िता की सहमति से ही गर्भपात करना कहा है तथा प्रदर्श पी–2 पर पीड़िता के पति का नाम कपिल लिखना और सहमति पर पीड़िता व कपिल दोनों द्वारा देखकर हस्ताक्षर करना कहा है। इस प्रकार मेडिकल साक्ष्य से भी पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किए जाने एवं उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन गर्भपात करवाए जाने की पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसी अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियोजन कहानी का समर्थन होता हो।

19. इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा

पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर बिना उसकी इच्छा व सहमति के जबरन बार–बार बलात्कार करने और पीड़िता के गर्भवती होने पर उसकी सहमति के बिना जबरन उसका गर्भपात करवाने का तथ्य प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त कपिल प्रजापत आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 376(2)(एन), 313 भा.द.सं. के आरोप से संपुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

:: **<u>आदेश</u>** ::

20. परिणामतः अभियुक्त कपिल प्रजापत पुत्र भैराराम प्रजापत, उम्र 24 वर्ष, निवासी सुनारी, पुलिस थाना लाड़नू, जिला नागौर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 376(2)(एन), 313 भा.द.सं. के आरोप से संपुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

21. अभियुक्त की ओर से दं.प्र.सं. की धारा 437ए के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत–मुचलके नियमानुसार अपील की अवधि तक प्रभावी रहेंगे। अभियुक्त की उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जावें।

22. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पीड़ित पक्ष को धारा 357ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिकर दिलाये जाने हेतु अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रतिकर बाबत अनुशंसा नहीं की जाती है।

(रिद्धिमा शर्मा)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
महिला उत्पीड़न प्रकरण,
जयपुर महानगर–प्रथम

23. निर्णय आज दिनांक 22 मार्च, 2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिद्धिमा शर्मा)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
महिला उत्पीड़न प्रकरण,
जयपुर महानगर–प्रथम